न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:—92/2019 दायर दिनांक:—03.07.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00148

1. भरतराम मीना पुत्र स्व० श्री जयनारायण मीना, उम्र 65 वर्ष, जाति—मीना निवासी—ग्राम कारवाड मीना, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)
2. केसर देवी पत्नि भरतराम मीना आयु 64 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0।

——वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र स्व. बोलरिया, उम्र 35 वर्ष,
2. सुआ बाई पत्नी स्व. गोलरिया, उम्र 62 वर्ष,
3. किन्दूरी लाल पुत्र स्व. श्री परसादी उम्र 64 वर्ष.
4. राजूलाल पुत्र स्व. घूडी (मृतक)

4/1 पुखराज पुत्र स्व. राजूलाल उम्र 18 वर्ष,

5. श्योपाल पुत्र स्व. रामा (मृतक)

5/1 पूरण पुत्र स्व. श्योपाल (मृतक)

5/1/1 विष्णु पुत्र स्व पूरण उम्र 38 वर्ष,

5/1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. पूरण उम्र 35 वर्ष,

5/2 जगन लाल पुत्र स्व. श्योपाल (मृतक)

5/2/1 मुकेश पुत्र स्व. जगनलाल (मृतक)

5/2/1/1 संतरा बेवा स्व. मुकेश उम्र 37 वर्ष,

5/2/1/2 अंकुश पुत्र स्व. मुकेश उम्र 20 वर्ष,

5/2/1/3 अमित कुमार पुत्र स्व. मुकेश उम्र 18 वर्ष,

5/2/1/4 अर्जित कुमार पुत्र स्व. मुकेश नाबालिक जरिये प्रा. सं. माता संतरा बेवा स्व. मुकेश,

5/2/2 नरेश पुत्र स्व. जगन उम्र 30 वर्ष,

5/2/3 सुरेन्द्र पुत्र स्व. जगन उम्र 28 वर्ष,

5/2/4 टिंकू पुत्र स्व. जगन उम्र 25 वर्ष,

5/2/5 रिंकू पुत्र स्व. जगन उम्र 20 वर्ष,

5/2/6 गल्ला पत्नी स्व. जगन उम्र 55 वर्ष,

5/3 श्रीमनलाल पुत्र स्व. श्योपाल उम्र 57 वर्ष,

5/4 हरिमन पुत्र स्व श्योपाल (मृतक)

5/4/1 लाखन बाई पत्नी स्व. हरिमन उम्र 50 वर्ष,

6. मु मुथरी बेवा रामकिशन (मृतक)

6/1. ठण्डीलाल पुत्र स्व.० रामकिशन (मृतक ला औलाद)

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम कारवाड़ मीना, तह० हिण्डौन जिला करौली।

6/1/1. श्रीनारायण पुत्र स्व. मनोहर उम्र 77 वर्ष,

6/1/2. प्रभूलाल पुत्र स्व. श्योनारायण (मृतक)

6/1/2/1. धन सिंह पुत्र स्व. प्रभूलाल उम्र 66 वर्ष,

6/1/2/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. प्रभूलाल उम्र वर्ष,

6/1/2/3. जगदीश पुत्र स्व. प्रभूलाल उम्र 45 [illegible]

6/1/2/4. भगवान सहाय पुत्र [illegible] 58 [illegible]

7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली।
8. राजस्थान सरकार, जरिये जिला कलेक्टर करौली।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— 1. श्री भगवानसहाय जैन अधिवक्ता वादीगण

2. प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 के तहत पेश किया है कि वादी की पुस्तैनी भूमि जिसके संवत् 2008 से 2019 की खतौनी में खाता संख्या 26 के कुल ख. न. 10 रकबा 15 बीधा 9 बिस्वा कृषि भूमि याके ग्राम कारवाड़मीना तह० हिण्डोन जिला करौली में स्थित है। वादी की पुस्तैनी भूमि के ख. नं. 208 बड़ा खेत की डोल में एक कच्ची कुई निर्मित है। जिसका निर्माण वादी के दादा स्व. श्री मदनमीना द्वारा करवाया गया था तथा तभी से वादी के पूर्वज ही उक्त कुई का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

उक्त कच्ची कुई जो कि वादी की पुस्तैनी भूमि की डोल पर स्थित है। उसका (कच्ची कुई का) प्रथक से नम्बर 221 रकबा 2 बिस्वा कायम कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादी को पूर्व में नहीं हो सकी। हाल ही में वादी के पिता स्व. जयनारायण मीना पुत्र स्व. मदनमीना की मृत्यु वर्ष 2018 में होने के उपरान्त, पैतृक भूमि का विभाजन कराने के बाद मार्च 2019 में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर हुई। पैतृक भूमि के विभाजन में उक्त डोल शुदा भूमि वादी के हिस्से में आने पर वादी ने उक्त कच्ची कुई जिसका पुराना ख. नं. 221 है तथा वर्तमान ख. नं. 360 है, बाबत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो मार्च 2019 में ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि वादी अथवा वादी के पूर्वजों के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जबकि उक्त कच्ची कुई का निर्माण ही वादी के दादा स्व. मदन मीना द्वारा करवाया गया था तथा तभी से वादी के पूर्वज एवं वर्तमान में वादी के पैतृक एवं खरीदशुदा सभी खेतों की सिचाई उक्त कच्ची कुई से होती है। जिसका स्पष्ट अंकन राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज (सिंचाई का साधन ख. नं. 360 दर्ज रिकार्ड) है।

वादग्रस्त कच्ची कुई जिसका वर्तमान ख. नं. 360 है, के लगवा ही वादी की पैतृक भूमि ख. नं. 361 रकबा 0.07 हैक्टे. वादी के हिस्से में है एवं वादी की क्रयसुदा भूमियों [illegible] पुराना का. नं. 220 है तथा वर्तमान व. नं. 300 रकबा 0.22 हैक्टेयर है। [illegible] वादग्रस्त कच्ची कुई के लगवा पूर्व में भी शादी पूर्व उसके पूर्वजों के खेत में तथा वर्तमान में भी साधी एवं उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी श्रीमति केसर देवी गीना की क्रयशुदा भूमि स्थित है। उक्त सभी खेतों की सिंगाईवादग्रस्त वाच्ची कुई से होती है। जिसकी पुष्टि वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी होती है।

वादग्रस्त कच्ची कुई का उपयोग एवं उपभोग प्रारम्भ से ही वादी एवं उसके पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है। वादी को उक्त वादग्रस्त कच्ची कुई बाबत सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है तथा वादी का एडवर्स पजेशन प्रारम्भ से बला आ रहा है। वादी के पूर्वजों के संज्ञान में उक्त तथ्य कभी नहीं आया कि उक्त वादग्रस्त कुर्य राजस्व रिकार्ड में उनके नाम नहीं है, अपितु वादी के पूर्वज प्रारम्भ से यही मानते रहे कि उक्त वादग्रस्त कच्ची कुई उन्हीं के द्वारा निर्मित है तथा वे ही उपयोग उपभोग कर रहे है।

प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त कुई से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश उक्त वादग्रस्त कच्ची कुई राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2008 से 2019 में राजा घनश्याम सिंह पटेल के बजाय प्रतिवादीगण के पूर्वज परसादी, घूडी, श्योपाल पि० रामा हि० 3/4 एवं ठण्डी वल्द रामकिशन हि. 1/4 के नाम दर्ज गलत रूप से दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी वादी एवं वादी के पूर्वजो को पूर्व में नहीं हो सकी। अगस्त 2018 में वादी के पिता की मृत्यु हो जाने पर उपरान्त पैतृक भूमि का बंटवारा करने के बाद मार्च 2019 में हुई है। तत्पश्चात् संबंधित राजस्व रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त करके नियमानुसार विधिक सलाह प्राप्त करके उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है।

उक्त वर्णित वादग्रस्त कच्ची कुई जिसका वर्तमान ख. नं. 360 है, पर प्रारम्भसे ही वादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा एवं उपयोग उपभोग रहा है। अन्य किसी प्रतिवादीगण ने कभी कोई आपत्ति नहीं की हैं। वादग्रस्त कुई पर वादी एवं उसके पूर्वजों का एडवर्स पजेशन एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। चूंकि वादग्रस्त कुई का निर्माण ही वादी के दादा स्व. मदन मीना ने करवाया है तो उक्त भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में वादी की भूमि जिसके वर्तमान खं. नं. 361 है में ही होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश उक्त वादग्रस्त कुई गलत रूप से प्रतिवादीगण के [illegible] के नाम लग गई। जिसे दुरुस्त किया जाकर गादी के यानं 3[illegible] न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान खसरा नम्बर 360 रकवा 0.01 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 221 रकया 2 विस्वा कायम किया गया है, जिसमें प्रारम्भ से कच्ची कुई स्थित थी। उक्त भूमि से सटवां खसरा नम्बर 361 वादिया संख्या 2 के पति वादी संख्या 1 भरतलाल मीना की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 358 रकवा 0.22 हैक्टेयर वादिया संख्या 2 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की खरीदशुदा भूमि है. जो वादिया संख्या 2 ने प्रतिवादी नम्बर 4 राजूलाल पुत्र घूडी से जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र खरीद की थी।

आराजी खसरा नम्बर 360 रकवा 0.01 हैक्टेयर वादिया संख्या 2 के पति भरतराम की आराजी खसरा नम्बर 361 तथा वादिया संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 358 के मध्य डोल पर स्थित है, जिससे वादिया संख्या 2 के पति वादी संख्या 1 भरतराम तथा वादिया संख्या 2 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। वादिया संख्या 2 व वादिया संख्या 2 के पति की आस–पास की भूमियों की सिंचाई उक्त कच्ची कुई से ही होती है लेकिन प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गयी थी इसलिये प्रतिवादीगण हस्तेक्षेप करते है व झगडा फिसाद करते है।

वादीगण उक्त वादग्रस्त कुई को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 361 में शामिल कराने का विधिक अधिकारी है। वर्तमान में मौका स्थिति के अनुसार भी वादग्रस्त कुई वादी की, भूमि खसरा नम्बर 361 की सीमा में शामिल है। इस कारण वादी उक्त वादग्रस्त कुई का विधिक स्वामी हेने एवं उसे अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 361 में शामिल कराकर उसका खातेदार काश्तकार होने बाबत घोषणा भी माननीय न्यायालय हाजा से कराने का विधिक अधिकारी है।

प्रतिवादीगण 'का उक्त वादग्रस्त कुई से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है जिसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 07.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 6/1/2/1 लगायत 6/1/2/4 वादग्रस्त कुई पर आये तथा आते ही वादीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तथा ऐलानियां कहने लगे कि उक्त कुई तो कागजों में हमारे पूर्वजों के नाम है। हम इसका उपयोग तुम्हें नहीं करने देंगें। तब वादीगण ने कहा कि उक्त भूमि सैकडों वर्षों से हमारे ही कब्जे व अधिकार में चली आ रही है तथा हमारे ही खेतों में इससे सिंचाई होती रही हे तथा हो रही है। इतने वर्षों में तो तुम्हारे पूर्वजों ने कभी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

आपत्ती नही की। इतना सुनते ही उक्त प्रतिवादी, वादीगण से झगडा करने पर उतारू हो गये तथा कहने लगे कि हम इसे दीगर व्यक्ति को बेच देंगें तथा झगडा बढ़ा देंगें परन्तु तुम्हें उपयोग उपभोग नहीं करनें देगें।

वादीगण प्रारम्भ से ही वादग्रस्त कुई का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण को उक्त कुई का निरन्तर उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है। वादीगण द्वारा उक्त कुई एवं आस–पास की भूमि को समतल करा देने एवं उपजाउ बना देने से प्रतिवादीगण की नियत में बेईमानी आ गई है। इसी कारण प्रतिवादीगण अकारण एवं अवैध धमकियां वादीगण को दे रहे है। जबकि वादीगण वादगस्त कुई को अपने नाम लगवाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कराने एवं अपने उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस वादपत्र के लिये वादकारण की उत्पत्ती सर्वप्रथम मार्च 2019 को रिकॉर्ड की जानकारी होने एवं तत्पश्चात दिनांक 07.06.2019 को उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी संख्या 6/1/2/1 लगायत 6/1/2/4 द्वारा अनुचित धमकी देने एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से पुनः उत्पन्न होकर प्रतिक्षण निरन्तर जारी है।

वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वादीया नम्बर २ वादग्रस्त कच्ची कुई जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 360 करवा 0.01 हैक्टेयर है की खातेदार काश्तकार है।

मुताबिक घोषणा उक्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 रकवा 0.01 हैक्टेयर को वादिया नम्बर–2 के खाते में दर्ज रिकॉर्ड किये जाने बाबत दुरूस्ती इन्द्राज हेतु समूचित आदेश प्रतिवादी संख्या 7 को प्रदान किये जावे।

वादीया नम्बर 2 के कब्जे व अधिकार की वादग्रस्त कच्ची कुई के वादीया नम्बर 2 के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकर की बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करने तथा वादग्रस्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से अन्तरित एवं भारित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न0 1 ता 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वादी ने अपने दावा को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 139 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रैस खाता न0 139 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 59 प्रदर्श–3, जमाबदी संवत 2071–74 खाता संख्या 234 प्रदर्श–4, जमाबदी संवत 2071–74 खाता संख्या 123 प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2046–66 प्रदर्श–6, ऑनलाइन नक्शा प्रदर्श–7, खतौनी बदोंबस्त संवत 2008–2019 प्रदर्श–8 वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन व साक्ष्य हेतु वादी भरतराम एवं केसर देवी का शपथ पत्र पेश किये गये एवं वादी 1 व 2 के पीडब्लु–1 एवं पीडब्लु–2 पर बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादी ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि मुताबिक घोषणा उक्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.01 हैक्टेयर को वादिया नम्बर–2 के खाते में दर्ज रिकॉर्ड किये जाने बाबत दुरूस्ती इन्द्राज हेतु समूचित आदेश प्रतिवादी संख्या 7 को प्रदान किये जावे एवं वादीया नम्बर 2 के कब्जे व अधिकार की वादग्रस्त कच्ची कुई के वादीया नम्बर 2 के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकर की बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करने तथा वादग्रस्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से अन्तरित एवं भारित नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने का निवेदन किया है।

हमने एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 139 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रैस खाता न0 139 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 59 प्रदर्श–3, जमाबदी संवत 2071–74 खाता संख्या 234 प्रदर्श–4, जमाबदी संवत 2071–74 खाता संख्या 123 प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल संवत 2046–66 प्रदर्श–6, ऑनलाइन नक्शा प्रदर्श–7, खतौनी बदोंबस्त संवत 2008–2019 प्रदर्श–8 वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन के प्रतिवादी स0 1 ता 6 खातेदार काश्ताकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested

सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में सफल रहा है। अतः खसरा न0 360 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन में प्रतिवादीगण के नाम हजफ कर वादी न0 2 को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त आराजीयात में कब्जे व अधिकार की वादग्रस्त कच्ची कुई के वादीया नम्बर 2 के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकर की बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करने तथा वादग्रस्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से अन्तरित एवं भारित नही करे। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 136, 88 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 136, 88 के तहत डिक्री किया जाता है कि वादी न0 2 की आराजी खसरा न0 360 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन में प्रतिवादीगण के नाम हजफ कर वादी न0 2 को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की उक्त आराजी खसरा न0 360 रकबा 0.01 है0 गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन में कब्जे व अधिकार की वादग्रस्त कच्ची कुई के वादीया नम्बर 2 के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकर की बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करने तथा वादग्रस्त कच्ची कुई की भूमि खसरा नम्बर 360 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से अन्तरित एवं भारित नही करे। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 136, 88 स्वीकार किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:39:03 IST
Reason: SelfAttested